झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / स्था॰–13–02 / 2016 ज॰सं॰..राँची, दिनांक :................................../

–: आदेश :–

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक–3806 दिनांक 20.10.2016 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संलग्न सूची (**परिशिष्ट–अ**) में उल्लिखित डिप्लोमाधारी / डिग्रीधारी अभ्यर्थियों (असैनिक) को वेतनमान 9300–34800 / – ग्रेड पे 4200 / –रू॰ प्रतिमाह तथा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते के साथ कनीय अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्नांकित शर्त्तों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उनकी सेवा उनके नाम के समक्ष अंकित प्रशासक / मुख्य अभियंता को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है :–

1. नवनियुक्त कनीय अभियंता एक वर्ष तक परिक्ष्यमान् रूप में रहेंगे।
2. पदग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. पदग्रहण के समय किसी सरकारी असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संबंधित प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर के समक्ष समर्पित करना होगा।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पूर्ण सत्यापन की प्रत्याशा में यह नियुक्ति की जा रही है। अनुकूल स्वच्छता प्राप्त नहीं होने के स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
5. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं को नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर संबंधित कार्यालय में योगदान कर लेना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् योगदान करने पर विभागीय अनुमति प्राप्ति पर योगदान स्वीकृत की जायेगी।
6. प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर कार्यालय में योगदान की स्वीकृति के पश्चात् नियमानुसार वेतनादि अनुमान्य होगा।
7. नवनियुक्त कनीय अभियंता के योगदान की स्वीकृति के पूर्व संबंधित प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर संबंधित उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक योग्यता / प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण की अर्हत्ता का सत्यापन उनके मूल प्रमाण पत्रों से कर आश्वस्त हो लेंगे।
8. प्रशासक / मुख्य अभियंता के समक्ष संलग्न प्रपत्र में घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। तदोपरांत हीं प्रशासक / मुख्य अभियंता उन्हें अपने प्रक्षेत्राधीन पदस्थापित करेंगे।
9. नियुक्ति की सम्पुष्टि के पूर्व अभिलेखों का सत्यापन संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय / तकनीकी संस्थान से कराया जायेगा। सत्यापन के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि / विसंगति की जिम्मेवारी उम्मीदवारों की होगी।

अनु॰–यथोक्त।

ह० / –

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

D:\SEC-03\Notification\2017\NEW JE 2017.docx

ज्ञापांक :–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर को अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर को आदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंताओं को गृह जिला में पदस्थापित नहीं करेंगें। साथ ही अभ्यर्थी के नाम/पिता का नाम/पता एवं अन्य टंकण त्रुटियों की जाँच कर अपने स्तर से निराकरणोंपरांत विभाग को संसूचित करेंगे।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–उपायुक्त देवघर/धनबाद/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/सभी कनीय अभियंता के गृह जिला से संबंधित आरक्षी अधीक्षक धनबाद/नालन्दा (बिहार)/पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेक्षित।

आरक्षी अधीक्षक से अनुरोध है कि सभी कनीय अभियंता के अंकित स्थायी पते से उनके चरित्र का सत्यापन कराकर विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :–   राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को उनके पत्रांक–3806 दिनांक 20.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक :– 1092   राँची, दिनांक :– 03-04-17

प्रतिलिपि :–वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोक्त।

3/4/17

(नवीन नारायण)

अभियंता प्रमुख–I

D:\SEC-03\Notification\2017\NEW JE 2017.docx

<u>परिशिष्ट–'अ'</u>

क्रमांक	नव नियुक्त कनीय अभियन्ताओं का नाम एवं पता	जन्म तिथि	पिता का नाम	आयोग का क्रमांक	आरक्षण कोटि (अना0/अ0ज0जा0/अ0जा0/अ0पि0व0–I/पि0व0–II)	आयोग द्वारा अनुशंसित कोटि	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र में पदस्थापन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री प्रिन्स कुमार ग्रा०–खरमो, पो०–ओझाडीह कटनिया जिला–धनबाद, पिन नं०–828109 झारखण्ड	26.08.1991	श्री सुबोध कुमार सिंह	1410467	अनारक्षित	अनारक्षित	मुख्य अभियंता, देवघर
2	श्री अभिनव कुमार ग्रा0–सरबहदी, पो0–सरबहदी थाना–मानपुर, जिला–नालन्दा राज्य–बिहार, पिन–803107	26.07.1991	श्री रंजीत प्रसाद	1310479	अनारक्षित	अनारक्षित	मुख्य अभियंता, देवघर
3	सुश्री निकिता कुमारी बंगला नं०–284/9999, विजया गार्डेन बारीडीह, जमशेदपुर	01.01.1992	श्री उमानाथ मिश्रा	1810727	अनारक्षित	अनारक्षित	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर

3/4/17

(नवीन नारायण)
अभियंता प्रमुख–I
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची